



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34902

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3857 वर्ष 2026

रामस्वरूप

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गौरव सिसोदिया

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को केवल प्रार्थना संख्या 1 तक सीमित रखा, जो इस प्रकार है:-

1. प्रत्यर्थी संख्या 3 को आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश कि वे राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन दिनांक 18.08.2023 पर तत्काल कार्यवाही करें, जो कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा यू.पी.जेड.ए. एंड एल.आर. अधिनियम की धारा 229बी के तहत पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 को लागू करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, और जो 18.08.2023 से प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष लंबित है।

2. यह तर्क दिया गया है कि आवेदन वर्ष 2023 में दायर किया गया है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 मामले में शीघ्रता से उचित आदेश पारित करेंगे।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, चंदौसी, जिला संभल को उपरोक्त आवेदन को अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, लेकिन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

17 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"